

प्रारम्भिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर

उनवान

1. श्री शंकरलाल पिता माना मेघवाल निवासी मेडता तह.मावली।

बनाम

.....वादी

1. श्रीमती कंकुबाई पत्नी स्व. लोगरलाल मेघवाल निवासी मेडता तह.मावली।
2. श्री प्रभुलाल पिता स्व. लोगरलाल मेघवाल निवासी मेडता तह.मावली।
3. श्री रामलाल पिता स्व. लोगरलाल मेघवाल निवासी मेडता तह.मावली।
4. श्री रोशनलाल पिता स्व. लोगरलाल मेघवाल निवासी मेडता तह.मावली।
5. श्रीमती टमुबाई पुत्री स्व. लोगरलाल मेघवाल निवासी मेडता तह.मावली।
6. श्री मदनलाल पिता मोहन मेघवाल निवासी मेडता तह.मावली।
7. श्री रामेश्वरलाल पिता मोहन मेघवाल निवासी मेडता तह.मावली।
8. श्रीमती प्रताबी बाई पुत्री मोहन मेघवाल निवासी मेडता तह.मावली।
9. श्रीमती रतनीबाई पत्नी मोहन मेघवाल निवासी मेडता तह.मावली।
10. श्रीमती सलुबाई पुत्री गोविन्दराम मेघवाल निवासी मेडता तह.मावली।
11. श्रीमती लालुराम पिता डालिया उर्फ डालु मेघवाल निवासी मेडता तह.मावली।
12. श्री वज्जुराम पिता डालिया उर्फ डालु मेघवाल निवासी मेडता तह.मावली।
13. श्री गोवधनलाल पिता डालिया उर्फ डालु मेघवाल निवासी मेडता तह.मावली।
14. श्री मोतीलाल पिता डालिया उर्फ डालु मेघवाल निवासी मेडता तह.मावली।
15. श्री रोशनलाल पिता लोगरलाल मेघवाल निवासी मेडता तह.मावली।
16. श्रीमती भंवरीबाई पिता डालिया उर्फ डालु मेघवाल निवासी मेडता तह.मावली।
17. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार मावली तह. मावली।
18. पटवारी, पटवार हल्का मेडता तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- 53, 188 रा.का.अधि.

मुकदमा नम्बर : 109/18 वाद

निर्णय दिनांक : 12.03.19

वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.03.2019 को मोहन सिंह, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - मौजा मेडता पटवार हल्का मेडता की आराजी न. 1876 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आ.न. 1905 रकबा 9 बिस्वा, आ.न. 1809, 1810 से 1813, 1815, 1816, 1890 कित्ता 8 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा एवं आ.न. 1497 रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा भूमि का पक्षकारान के मध्य हिस्सेनुसार हिस्से एवं कब्जे के आधार पर वादी का हिस्सा पृथक किया जाकर बंटवाडा प्रस्तावित किया जावे। बंटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मावली को 500/- रूपया कमिश्नर शुल्क पर बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता हैं कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावे। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावे। बंटवाडा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो-दो प्रतियों में पेश किया जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावे। फिस कमिश्नर वादीया मौके पर अदा करें।



यह आज तारीख 12.03.19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर मावली
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) मावली